

वित्त विभाग
पेंशन अनुभाग

ई-मेल:- fa@kolkataporttrust.gov.in

सं: फिन/पीएसएलआई/22/307

दिनांक : 05.05.2022

सूचना

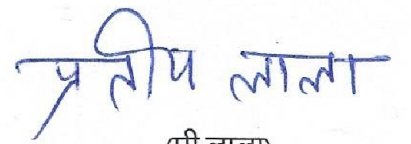
विषय: पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु संबंधी सूचना

यह देखा गया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पूर्ववर्ती कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट) के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मृत्यु की सूचना संबंधित बैंक को या एसएमपीके की वित्त विभाग के पेंशन अनुभाग को अक्सर नहीं दी जाती है। जिससे पेंशनभोगियों का नाम मासिक पेंशन बिल से समय पर हटाया जाना संभव नहीं होता। यह भी देखा गया है कि पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद, कुछ मामलों में उनके बच्चे/रिश्तेदार धोखाधड़ी से डेबिट कार्ड का उपयोग करके अनाधिकृत रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशन निकाल रहे हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के बच्चे/रिश्तेदार/परिजन कृपया ध्यान दें कि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना तत्काल वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पेंशन अनुभाग, वित्त विभाग, एसएमपी कोलकाता, 15 स्टैंड रोड, कोलकाता 700001 को अवश्य दे दी जाए। साथ-ही पीपीओ बुक की मूल प्रति और पेंशनभोगी के मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति दी जाए। पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मृत्यु प्रमाणपत्र सहित मृत्यु संबंधी सूचना संबंधित बैंक/एलआईसी को भी दी जाए।

यदि कोई व्यक्ति मृत्यु की सूचना देने में विफल रहता है और धोखाधड़ी से पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ उठाता है तो एसएमपीके इसे एक अपराध के रूप में देखेगा और एसएमपीके द्वारा भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत संबंधित व्यक्ति पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कृपया इसे व्यापक रूप से परिचालित करें।



(पी.लाला)

एफए व सीएओ (प्रभारी)